पेंशन सुधारों के संबंध में 18.1.2008 को बम्बई वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल के साथ संगोष्ठी

मुझे बेहद खुशी है कि बम्बई वाणिज्य एवं उद्योग मण्डल के आमंत्रण पर आज मैं आप सबके बीच हूँ । इस बैठक से पेंशन सुधारों से जुड़े जानकर लोगों के साथ परस्पर विचार-विनिमय का अद्भुत अवसर मिला है ।

मैं पेंशन सुधारों की संक्षिप्त पूर्वपीठिका, अब तक का घटनाक्रम और आने वाले समय में उभरने वाले मुद्दों का जिक्र करूंगा । अन्त में मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, या कहें तो, आपके प्रश्नों का स्वागत करूंगा ।

जैसाकि आप सब जानते हैं, भारत में पेंशन सुधारों की जरूरत जनसांख्यिकीय प्रवृत्तियों, मौजूदा वृद्धावस्था सुरक्षा कार्यक्रमों के कम विस्तार और सरकार की राजकोषीय बाधाओं से उभरी है ।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत शायद विश्व में सबसे युवा देश है जहां औसत आयु सिर्फ 26 वर्ष है । भारत में आश्रितता अनुपात भी विश्व में सबसे कम औसतों में से एक है । इस जनसांख्यिकीय स्थिति से उत्पन्न नीतिगत आवश्यकता यह है कि अब देश में पेंशन सुधार लागू करने और एक ठोस एवं संपोषणीय सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था स्थापित करने का समय आ गया है । मैं यह भी कहूंगा कि भारत बहुत तेज रफ्तार से बूढ़ा हो रहा है और 60 वर्ष से अधिक की आयु वाले लोगों की संख्या जो आज 80 मिलियन है, अगले 18 से 20 वर्ष में दोगुनी हो जाएगी । इसलिए पेंशन सुधारों के कार्यान्वयन में हुई कोई भी देरी सुधार-प्रक्रिया पर बहुत बुरा असर डालेगी और उन लाभों को बेकार कर देगी जो आज हमें प्राप्त हैं ।

वृद्धावस्था पेंशन सुधार प्रणाली के मौजूदा कवरेज का जहां तक प्रश्न है, कुल श्रमिक बल का केवल लगभग 12-13 प्रतिशत ही किसी संगठित सामाजिक सुरक्षा प्रणाली के अंतर्गत शामिल है । शेष 87 प्रतिशत को सेवा-निवृत्ति के बाद अपने भरण-पोषण के लिए सम्पदा संचय की कोई औपचारिक योजना की सुविधा प्राप्त नहीं है । एनपीएस मुख्यतया श्रमिक बल के इसी 87 प्रतिशत के लिए है ।

केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों का पेंशन बजट लगभग 65,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है । यह 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष की भयानक दर पर बढ़ रहा है। बहुत जल्द ही सरकार के वित्त साधनों पर यह बोझ अवहनीय हो जाएगा । यही कारण था जिसने केन्द्र सरकार को इस देनदारी को सीमित करने और नए कर्मचारियों के लिए सुस्पष्ट अंशदायी प्रणाली लागू करने पर मजबूर किया । इसी प्रकार की कार्रवाई उन्नीस उन्य राज्य सरकारों ने अब तक कर ली है । उम्मीद की जाती है कि पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल को छोड़कर शेष राज्य सरकारें भी एनपीएस आधारित सुस्पष्ट अंशदायी प्रणाली को अपना लेंगी ।

इस प्रणाली के नीतिगत मापदंडों की संकल्पना तैयार करने, उन पर विचार-विमर्श और वाद-विवाद करने, विस्तृत व्यावहारिक अध्ययन करने के बाद एक सरल एनपीएस संरचना तैयार करने में लगभग 10 वर्ष लगे हैं । अब हम शुरूआत करने के लिए तैयार हैं । मेरा विचार है कि यहां सभी

उपस्थित-जन जानते हैं कि हमने एनपीएस को चलाने के लिए केन्द्रीय अभिलेखपाल अभिकरण और तीन निधि प्रबंधकों को नियोजित किया है । एनपीएस को एक ठोस और कार्यदक्ष बुनियाद देने के लिए सीआरए को एक विस्तृत अवसंरचना तैयार करने के लिए 24 सप्ताह का समय दिया गया है । यह उम्मीद की जा रही है कि 31 मई 2008 से पहले सीआरए पूरी तरह कार्य करना शुरू कर देगा । इस बीच, तीनों निधि प्रबंधकों ने नई कंपनियां शामिल कर ली हैं और उनके 31 मार्च, 2008 तक कार्य शुरू कर देने की संभावना है । चालू वित्त वर्ष के अन्त से पहले, पीएफआरडीए एनपीएस न्यास भी स्थापित करेगा और अभिरक्षक सेवाओं के लिए एक अभिरक्षक (कस्टोडियन) बैंक भी स्थापित करेगा । हमें आशा है कि केन्द्र सरकार और 19 राज्य सरकारों के कर्मचारियों के एनपीएस अंशदान अगले वित्त वर्ष के आरंभ में संबंधित सरकारों द्वारा इन निधि प्रबंधकों को अन्तरित कर दिए जाएंगे ।

चलिए, मैं एनपीएस की मुख्य विशेषताएं आपको याद दिला दूं । मौजूदा सभी पेंशन योजनाओं जिनमें ईपीएफओ की योजना भी शामिल है, के विपरीत एनपीएस नौकरियों और स्थानों में फेरबदल होने पर भी बाधारहित वहनीयता (पोर्टेबिलिटी) उपलब्ध कराती है । दूसरे शब्दों में, इसमें व्यक्तिशः भागीदारों के लिए झंझट मुक्त व्यवस्था प्रदान की जाएगी । यह पूर्णतः सुस्पष्ट अंशदायी योजना है जिसमें सुस्पष्ट लाभ का कोई घटक नहीं है, प्राप्त आय पूरी तरह बाजार-संबंधित है । एनपीएस व्यक्तियों को एक निवेश विकल्प से हटकर दूसरे विकल्प की ओर जाने या एक निधि प्रबंधक से हटकर दूसरे निधि प्रबंधक को अपनाने के विभिन्न निवेश विकल्प और चयन के अवसर देगी जो जाहिर है कतिपय विनियामक प्रतिबंधों के अध्यधीन होगा । तथापि, इस समय केवल दो निवेश विकल्प होंगे -- संपूर्ण अंशदान का केवल सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश या गैर-सरकारी भविष्य निधियों पर प्रयोज्य निवेश संबंधी दिशानिर्देश अपनाना। मौजूदा सरकारी दिशानिर्देश यह प्रावधान करते हैं कि 15% तक इक्विटी में तथा शेष 85% नियत आय संबंधी लिखतों में निवेश किया जा सकता है । संसद द्वारा पीएफआरडीए विधेयक पारित कर दिए जाने के बाद, विनियामक निवेश के अधिक विकल्प मुहैया कराएगा जिससे पेंशन संपदा के 50% तक का इक्विटी में निवेश किया जाएगा । आरंभिक वर्षों में निवेशों को इन्डेक्स निधियों और ईटीएफ के जरिए सीमित करने का प्रस्ताव है । संयुक्त राज्य अमरीका में, पेंशन निधियों की इक्विटी धारिता 70% जितनी अधिक है । पेरू और चिली में भी पेंशन-धन का अधिकांश कंपनियों के शेयरों में निवेश किया जाता है और सरकारी ऋण-प्रतिभूतियों में कम संकेन्द्रण किया जाता है । संभव है इस स्तर तक पहुंचने में भारत को कुछ समय लगेगा लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं । सापेक्षतया कम लागत एनपीएस की एक और विशेषता होगी ।

प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया के जरिए हमने 3 और 5 आधार-बिन्दुओं के निवेश-प्रबंधन शुल्क और 10 आधार-बिन्दु तक की लेन-देन लागत का अन्वेषण किया है । जैसे-जैसे कार्य की मात्रा में वृद्धि होगी, इन लागतों में सिर्फ कमी ही आएगी । कम लागतों से पेंशन सम्पदा बढ़ेगी और नए ग्राहकों का आगमन होगा।

इस क्षेत्र का विकास करने में हमारे सामने अनेक चुनौतियां हैं । मेरे विचार में मुख्य चुनौतियां हैं सुरक्षा और उच्च लाभ प्रदान करना, इसमें अधिकाधिक लोगों का शामिल करना और वित्तीय साक्षरता के स्तरों में सुधार लाना । अभी कल ही "इकनॉमिक टाइम्स" ने अविवा ग्रुप द्वारा किए गए बचत-सर्वेक्षण का जिक्र करते हुए कोलकाता, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में वित्तीय साक्षरता कर स्तर सूचित किया ।

पेंशन सुधारों के सभी हितधारकों को सेवानिवृत्ति के लिए बचत के लाभ और फायदों के बारे में संभावित भागीदारों को जानकारी देने के लिए विशेष प्रयास करने होंगे । लेकिन मैं यह कह देना चाहूंगा कि लोगों को जानकारी देने का यह प्रयास निधि प्रबंधकों द्वारा बिक्री और विपणन प्रयासों के रूप में नहीं होना चाहिए।

आपमें से कुछ लोग यह जानना चाहेंगे कि क्या प्रबंधन के तहत परिसम्पत्तियों की क्रमिक वृद्धि के बारे में कोई अनुमान लगाया गया है । फिक्की-केपीएमजी द्वारा किए गए अध्ययन में यह आकलन किया गया है कि 20 वर्ष से कम समय में एयूएम 95 बिलियन अमरीकी डालर होगा। सरकार द्वारा गठित एक विशेषज्ञ दल द्वारा किए गए एक और अध्ययन में 100 बिलियन अमरीकी डालर का जरा-सा अधिक अनुमान इंगित किया गया है ।

पेंशन संबंधी बचतों को एक बड़ा प्रोत्साहन देने वाला घटक उनके साथ किया जाने वाला कर-व्यवहार होगा । इस समय एनपीएस ईईटी कर-व्यवस्था के अधीन है । दूसरी ओर, ईपीएफ, जीपीएफ और पीपीएफ को अधिक अनुकूल कर-व्यवहार प्राप्त है । उन्हें ईईई लाभ उपलब्ध है । यह संविदात्मक बचतों को जो निवेश के लिए दीर्घकालिक निधियां मुहैया कराती हैं, प्रोत्साहित करने के बुनियादी सिद्धान्तों के विपरीत है । हमने सरकार के समक्ष यह मुद्दा रखा है और मुझे आशा है कि इस पर हमें अनुकूल प्रतिक्रिया मिलेगी ।

पीएफआरडीए को एक लाभकर पेंशन क्षेत्र का विकास करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम इस कार्य को बहुत गंभीरता से कर रहे है। मैं अक्सर यह कहता हूँ कि जब तक यह क्षेत्र विकसित नहीं होगा, पीएफआरडीए के पास विनियमित करने के लिए कुछ नहीं होगा । मैं इस प्रयास में आपके सक्रिय सहयोग की आशा करता हूँ ताकि भारत में सेवा-निवृत्ति संबंधी बचतों की एक सुदृढ़, सन्तुलित और कार्यदक्ष प्रणाली विकसित हो ।